



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 2672

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44196 सन् 2025

आनंद एवं 2 अन्य

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:-

सुनील कुमार तिवारी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:-

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

1. श्री सुनील कुमार तिवारी, याचीकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, श्री मनोज कुमार सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत याचीकाकर्तागण की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उन्हें मामला अपराध संख्या 0572 सन् 2025, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत, थाना - जानी, जिला - मेरठ में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।
3. याचीकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचीकाकर्तागण निर्दोष हैं और उन्हें पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। संलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न गैंग-चार्ट में उनके विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्शाया गया है, जिसमें याचीकाकर्तागण को जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
4. यह भी निवेदन किया गया कि याचीकाकर्तागण किसी गैंग के सदस्य, नेता या आयोजक नहीं हैं और उन्होंने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में उल्लिखित किसी गैंग की गतिविधियों में सहायता या दुष्प्रेरण नहीं किया है। याचीकाकर्तागण का उपरोक्त मामले के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे निवेदन किया गया कि न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ की भी कोई संभावना नहीं है। याचीकाकर्तागण, जो 28.11.2025 से जेल में बंद हैं, वचन देते हैं कि यदि जमानत दी गई तो वे स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह भी बताया गया कि न्यायालय में मामलों की अत्यधिक लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

5. इसके विपरीत, श्री मनोज कुमार सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने याचीकाकर्ता की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किंतु याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त याचीकाकर्ता के विरुद्ध कोई अन्य मामला नहीं बता सके।

6. तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित प्रकृति एवं साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि यह जमानत का उचित मामला है।

7. **याचीकाकर्तागण, आनंद, गुलशन और राजू @ रवीन्द्र को उपरोक्त मामला अपराध संख्या में निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा उतनी ही राशि में दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-**

I. याचीकाकर्तागण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

II. याचीकाकर्तागण अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे/उन्हें नहीं डराएंगे।

III. याचीकाकर्तागण विचारण न्यायालय में (i) मामले के प्रारंभ, (ii) आरोप-निर्माण तथा (iii) दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



IV. याचीकाकर्तागण यह वचनपत्र दाखिल करेंगे कि जब विचारण न्यायालय में गवाह उपस्थित हों, तब साक्ष्य के लिए नियत तारीखों पर वे कोई स्थगन नहीं माँगेंगे।

V. याचीकाकर्तागण प्रत्येक नियत तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

5 जनवरी, 2026

विभा सिंह